न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2019

अनवान :

1. कुलदीप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।
2. सत्यपालसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कान्तादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आर एम जी बी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक : 06-2-2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 173/178 के मु0नं0 12 किला नं0 21 ता 24, मु0नं0 17 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 25 मु0नं0 38 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 10 मु0नं0 40 किला नं0 5 कुल किता 46 की 11.463 है0 नहरी बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 67/84 हिस्सा में 1/3 भाग खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा नेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। नेतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई थी परन्तु प्रतिवादी रामकुमार कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वाद भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 3 कान्तादेवी ने वादभूमि में अपना हक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गया था तथा इसी अनुसार वादभूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज होने से वादी के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10जेएसएल के खाता सं0 173/178 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का भी प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम 10 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीया सं0 3 कान्तादेवी ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा नेतराम वल्द रामूराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा राजीनामा में प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद भूमि में जो उसका हक हिस्सा बनता है वह वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर देना स्वीकार किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामकुमार के वारिसान में पत्नी गुड्डी देवी, दो पुत्र सत्यपालसिंह व कुलदीप सिंह, एक पुत्री कान्ता देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 173/178 के मु0नं0 12 किला नं0 21 ता 24, मु0नं0 17 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 18 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 25 मु0नं0 38 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 10 मु0नं0 40 किला नं0 5 कुल किता 46 की 11.463 है0 नहरी बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 67/84 हिस्सा में 1/3 भाग खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 कान्ता देवी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2019

अनवान :

1. कुलदीप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।
2. सत्यपालसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कान्तादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आर एम जी बी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 173/178 के मु0नं0 12 किला नं0 21 ता 24, मु0नं0 17 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 25 मु0नं0 38 के किला नं0 1 व 10, मु0नं0 39 के किला नं0 1 ता 10 मु0नं0 40 किला नं0 5 कुल किता 46 की 11.463 है0 नहरी बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 67/84 हिस्सा में 1/3 भाग खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 कान्ता देवी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:53:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: